सत्यमेव जयते

खंड ३ संख्या १

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी रिपोर्ट

(भाग २—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर रहित)

सोमवार, तिथि १७ मार्च १९५८

Vol. III No. 1

The Bihar Legislative Assembly Debates

Official Report

(Part II—Proceedings other than Questions and Answers)

Monday, the 17th March 1958

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार
पटना, द्वारा मुद्रित
१९५९

[मूल्य—३७ नये पैसे।]

[*Price—37 Naye Paise.*]

बिहार विधान-सभा वादवृत्त ।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण । सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में बुधवार, तिथि १६ अप्रील, १९५८ को १० बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ ।

१९५८-५९ के आय-व्ययक पर सामान्य-वादविवाद ।
GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET FOR THE YEAR 1958-59.

अध्यक्ष—बजट पर वादविवाद हो गया है अब उस पर सरकार का उत्तर होगा ।

(उप-मंत्री श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही बोलने के लिये खड़े हुए ।)

*श्री महेश्वर प्रसाद नारायण सिंह—मेरा प्वायन्ट ऑफ ऑर्डर है । मुनासिब यह था कि अर्थ मंत्री के नहीं रहने पर दूसरे मंत्री सरकार का जवाब देते । सौभाग्य से हमारे तीन चार मंत्री यहां मौजूद हैं और उनको जवाब देना चाहिये । डिपुटी मिनिस्टर चाहे कितने भी कम्पिटेन्ट क्यों न हों, उनका जवाब देना हमारे मंत्रियों का अपमान करना है और इस हाउस का अपमान करना है । इसलिये मेरा कहना है कि जब वित्त मंत्री हाउस में नहीं हैं तो हमारे सिंचाई मंत्री जो डिपुटी लीडर ऑफ दी हाउस हैं, यहां मौजूद हैं । वे बोलना जानते हैं हिन्दी में, अंग्रेजी में और वे बहुत होशियार हैं । इसलिये हम चाहते हैं कि मंत्रियों और हाउस की डिगनीटी का ख्याल किया जाय । यह बहुत गलत बात है कि कोई डिपुटी मिनिस्टर जवाब दें । इतने लोगों ने बहुत से सुझाव दिये हैं उसका जवाब डिपुटी मिनिस्टर दें यह ठीक नहीं है । दूसरी बात यह है कि मान लिया जाय कि डिपुटी मिनिस्टर जो एन्स्योरेन्स देते हैं तो हम समझते हैं कि उसके लिये उनकी कोई पाबन्दी नहीं होगी। अगर उनको अधिकार दिया गया होता या पावर मिला होता तो इस बात को हम मानते लेकिन हम जानते हैं कि उनको फाइल पर ऑर्डर करने का अधिकार नहीं है । वे सिर्फ फाइल को मिनिस्टर के यहां इन्डोर्स करते हैं । ऐसी हालत में जिसको इतना भी अधिकार नहीं है वह बजट पर हुये वादविवाद का जवाब दे यह हाउस की मर्यादा के खिलाफ है । अगर चीफ मिनिस्टर साहब नहीं आ सकते हैं तो इसके लिये एक हफ्ता का टाइम बढ़ा दिया जाय और तब वे आकर इसका जवाब दें ।

एक सदस्य—वे बीमार थे ।

श्री महेश्वर प्रसाद नारायण सिंह—वे बीमार नहीं थे । रांची आदि जगहों में गये थे । खैर वे बीमार ही हैं तो मकबल साहब तो बीमार नहीं हैं । और भी

कर सकता हूं। इसलिए यहां रह कर मैं सुख की जिन्दगी बसर नहीं कर रहा हूं और मैं साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि क्लाउड हंगिंग की कोई बात नहीं है।

हुजूर, एक बात कह कर मैं अपना भाषण समाप्त कर देना चाहता हूं। जब हम उप-मंत्री हुये और पहली बार जब वित्त मंत्री ने हमें फाइल दी तो पूछा था कि तुम लर्न करना चाहते हो या रूल करना चाहते हो। तो हम यहां ट्रेजरी बेंच पर बैठ कर लर्न करना चाहते हैं। सेवा करना चाहते हैं। हम यहां क्लाउड हंगिंग करने के लिए उप-मंत्री नहीं बने हैं। मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूं कि मेरा एसा नेचर नहीं है कि जो सिविल सर्वेन्ट कहें उसको मान लूं। मैं उनसे सीखता हूं और जहां होता है मैं इमानदारी के साथ काम करता हूं। हमारे मित्र हरिनाथ मिश्र जी को विश्वास रखना चाहिए कि हममें वे उन चीजों को नहीं पायेंगे। पं० विनोदानन्द झा जी के बारे में उन्होंने जो कहा है वह उचित नहीं है। मैं सारी बातें मधुरता से समाप्त करना चाहता हूं। फिर भी मैं कहता हूं कि यदि मेरी बातों से किसी को चोट पहुंची हो तो वे हमें क्षमा करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि मेरा भाषण जो बड़ा लम्बा-चौड़ा है उसको साइक्लोस्टाइल कराकर सदस्यों में बंटवा दूंगा।

कार्य स्थगन प्रस्ताव।

ADJOURNMENT MOTION :

पेयरिया, सारो, चिंतवा और रजिया की जिन्दगी को बचाने में सरकार की असफलता, जिनकी मृत्यु पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हो गई।

FAILURE OF GOVERNMENT TO PROTECT THE LIVES OF PEYARIA, SARO, CHINTWA AND RAJIA WHO DIED IN PATNA MEDICAL COLLEGE HOSPITAL.

अध्यक्ष—हमारे पास एक एडजर्नमेन्ट मोशन है श्री श्यामसुन्दर प्रसाद का मैं इसको पढ़ देता हूं।

"That the House do adjourn to discuss the failure of Government to protect the lives of four persons, viz., Peyaria, Saro, Chintwa and Rajia of village Dinatola Chowtha, P.-S. Bakhtiarpur, district Patna who had sustained burn injuries on the night of 14th April 1958 in the village and who died in the Patna Medical College Hospital on 15th April 1958 due to utter negligence of the Medical Staff of the Hospital."

श्री श्याम सुन्दर प्रसाद—१५ अप्रील १९५८ की रात की बात है। तीन बजे भोर में दौड़े हुए श्री नवल किशोर सिंह हमारे पास आये और कहा कि ५ औरतें बुरी तरह से जल गयी हैं और अस्पताल में आयी हैं। मैं उनके साथ अस्पताल में गया और वहां के अधिकारियों से कहा कि मैं एम० एल० ए० हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेडिकल एड दिया जाय। उन्होंने कहा कि तीन औरतें बच नहीं सकती हैं इसलिए इनलोगों के लिए तो हम कुछ दवा नहीं दे सकते हैं। बाकी जो दो आदमी हैं उनके लिए हम दवा करते हैं। चार औरतें मर चुकी हैं। एक लड़की जीवित है।

१६ पेअरिया, सारो, चितवा और रजिया की जिन्दगी को बचाने में सरकार की (१६ अमीष, असफलता, जिनकी मृत्यु पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हो गई।

मैं वहां १० बजे दिन तक रहा और सभी आदमियों से अनुरोध करता रहा। तीन बजे के पहले रोगी पहुंची थीं। लगभग छः बजे दो रोगियों को पानी चढ़ाया गया और तीन यों ही छोड़ दी गयीं। उसमें से दो औरतें चिल्लाती रहीं कि हमको पेशाब नहीं हुआ है, पेट फटा जा रहा है और दवा-दारू दें। मैंने भी अनुरोध किया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। और अन्त में वह मर ही गयी। दुःख की बात तो यह है कि एक वह प्रिगनेन्ट भी थी। मेरे अनुरोध पर भी उपेक्षा की गयी। रजिया और चितवा जो बची थी उसी दोनों को पानी चढ़ाया गया।

श्री हरिवंश नारायण सिंह—किस अधिकारी से आपने बातें की?

श्री श्याम सुन्दर प्रसाद—एक मिस्टर सहाय थे। मैंने तो नाम पूछने का भी प्रयत्न किया लेकिन वे लोग अपना नाम भी नहीं बताये।

अध्यक्ष—इन चारों में प्रीगनेन्ट कौन थी?

श्री श्याम सुन्दर प्रसाद—सारो या चिन्तवा दोनों में से कोई एक प्रीगनेन्ट थी। रजिया का हाथ जला हुआ था और उसको एक बेड भी मिला। वह जले हाथ पर माथा रखती थी तो उसका हाथ छिला जाता था। इस पर मैंने वहां के अधिकारियों से बार-बार अनुरोध किया कि इसको एक तकिया दे दें। लेकिन उसे तकिया नहीं दिया गया। पहले पियरिया तब सारो और तब रजिया तीनों तीन घंटे के अन्दर मर गयी। इसी के बाद एस० आई० आये और कुछ रिपोर्ट लिख कर चले गये। और मुझसे कहा गया कि यदि मैं गवाही न दूंगा कि ये आग से जल कर मरी हैं तो इन्हें पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया जायगा। मैंने डाक्टर से यह अनुरोध किया कि जो बची हुई हैं उनको ब्लड ट्रान्सफ्यूजन का इंतजाम किया जाय। सर्वप्रथम मैं खुद ब्लड देने को तैयार हुआ और उनके गांव वाले जो थे उनसे भी मैंने अनुरोध किया कि वे अपना खून दें लेकिन वे देहाती होने के कारण तैयार न हुए। इसलिये मैं अपने भतीजे के साथ खून देने के लिये गया और उसके गार्जियन को भी कहा। वहां एक रामस्वार्थ सिंह बैठे थे। मैंने उनसे कहा कि रुपया ले लीजिए और खून दीजिए तो उन्होंने कहा कि खून ही देना होगा। सबसे पहले मैं खून देने गया। मुझको उन्होंने तौला ऊंचाई नापी और खून लिया। उसके बाद दूसरे आदमी की पारी आयी इस पर उसको देखते ही डाक्टर ने झूठे कह दिया कि इस आदमी को-तो मैंने देखा है। इसको सिफलीस और गनोरिया है। यह हजारों बार ब्लड बैंक में आया है। यह पटने का आदमी है। मैंने उन्हें बहुत कहा कि यह देहात का आदमी है। होमियोपैथिक के प्रैक्टिसनर हैं यह मैं लिख कर दे सकता हूं लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और कहने लगे कि एम० एल० ए० झूठ बोलते हैं और चीट करते हैं। मैं हाउस के सामने सिर्फ उन्हीं के कहे हुए शब्दों को कह रहा हूं। मैंने फिर भी कहा कि आप एम० एल० ए० की बेइज्जत न करें और अपना कर्त्तव्य पालन करें। जल्द-से-जल्द खून लें जिससे वह रोगी बच जाय। इस पर भी नवलकिशोर सिंह को तौला गया ऊंचाई ली गयी। जब उसके गार्जियन का खून लेने लगे तो उन्हें तीन बार सूई भोंकी गयी और कहा गया कि इसको खून ही नहीं है। लेकिन मैं

कहता हूं कि वह आदमी हमसे ज्यादा मोटा-तगड़ा और स्वस्थ था। जीवित व्यक्ति के खून नहीं हो यह कैसी बात है। इतना करने पर भी रजिया को पूरा खून नहीं चढ़ाया गया और वह एक्सपायर कर जाती है। तीन बजे से बिना खाये पीये, बिना पखाना पेशाब किये १० बजे तक मैं दौड़ता रहा लेकिन किसी ने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैं लौट कर आया। यहां आने पर हाउस उठ गया था लन्च के लिये। फिर भी मैंने पटेल साहब से कहा। उनसे कहा कि अभी भी आप कृपा कर कुछ करें तो एक की जान बच सकती है। ये सब लोग एक ही परिवार के थे। पटेल साहब ने कुछ तत्परता दिखायी और एक पत्र दिया सुपरिंटेंडेंट के नाम से। उन्होंने कहा कि उसे सब तरह की दवा दी जायगी और पूरी हिफाजत की जायगी। लेकिन मैं कहता हूं कि जब आज इस तरह की धांधली अस्पताल में है और जिस पर हम करोड़ों रुपया भी खर्च करते हैं तो यह पैसे का दुर्व्यवहार नहीं तो और क्या?

अध्यक्ष--तब तो आप इस विषय पर बजट डिसकशन में भी बोल सकते थे।

श्री श्याम सुन्दर प्रसाद--मेरा कहना है कि जो प्रोसिड्योर एडजौर्नमेंट मोशन के लिये है उसको यह फूलफील करता है।

अध्यक्ष--आप नियम की बात क्यों कह रहे हैं? आप मोशन की बात कहें। यदि मोशन की बात समाप्त हो गई है तो आप बैठिए।

श्री श्याम सुन्दर प्रसाद--अध्यक्ष महोदय, यह मैटर अरजेन्ट और पब्लिक इम्पौर्टेन्स की बात है। दो सौ रुपया खर्च करके ये गरीब लोग घर से आये और इनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया।

श्री दीप नारायण सिंह--महोदय, मोशन के सिलसिले में जो सरकार को रिपोर्ट मिली है, संक्षेप में मैं उसे सदन के सामने रखता हूं। १५ ता० को तीन सवा तीन बजे रात्रि में पांच रोगी एमरजेंसी वार्ड में भर्त्ती हुए जो जले हुए थे। ऐसी रिपोर्ट है और अभी भी मालूम हुआ है। करीब-करीब ८० प्रतिशत वे लोग जल गये थे जिस हालत में रोगी आये थे वह हालत बड़ी ही दर्दनाक थी और वे खतरे से खाली नहीं थे। करीब-करीब सवा तीन या साढ़े तीन बजे एमरजेंसी वार्ड में भर्त्ती हुए और उस समय उनकी जो उचित चिकित्सा हो सकती थी, की गयी। मरफीया, सलाइन और गुलकोज भी दिया गया था।

श्री रामानन्द सिंह--आपका अफसर सच कहता है और मेम्बर झूठ कहता है।

श्री दीप नारायण सिंह--मैं यह नहीं कहता हूं कि अफसर सच बोलते हैं और मेम्बर झूठ बोलते हैं। मेरे पास जो रिपोर्ट आई है उसे मैं पढ़ रहा हूं। आपकी जो मर्जी है अपनी राय रख सकते हैं। बीच ही में आप बोलना शुरू कर दीजियेगा तो मुझको लाचारी होगी। जनरल वार्ड में करीब ४, ४।। बजे वे दाखिल हुईं जिनमें तीन की मृत्यु हो गई और एक की मृत्यु १ बजकर ४५ मिनट पर दिन में हुई।

१८ पेग्ररिया, सारो, चिंतवा और रजिया की जिन्दगी को बचाने में सरकार की (१६ अप्रील, असफलता, जिनकी मृत्यु पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हो गई।

एक अभी जिन्दा है लेकिन उसकी भी हालत अच्छी नहीं है और खतरे से खाली नहीं है। जो कुछ भी उचित चिकित्सा हो सकती थी की गई। इसमें मेरी समझ से किसी तरह की अवहेलना की गई या उनके ऊपर उचित तरीके से ध्यान नहीं दिया गया हो, ऐसी बात नहीं है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि उनकी बात नहीं सुनी गई हलांकि उन्होंने अपना परिचय दिया। तो मैं इसके सम्बन्ध में जांच (इंक्वायरी) कराऊंगा और उस जांच (इंक्वायरी) की रिपोर्ट तुरत सदन (हाउस) के सामने रखूंगा।

अध्यक्ष--इसके ऐडमिसिबिलिटी पर आप को क्या कहना है?

श्री दीप नारायण सिंह--मैं समझता हूं कि यह ऐडमिसिबुल नहीं है इसलिए कि इसमें कोई आर्डर नेगलेक्ट नहीं हुआ है।

श्री श्याम सुन्दर प्रसाद--मैं निवेदन करूंगा कि जब मैं तीन साढ़े तीन बजे वहां पहुंच गया और साढ़े ६ बजे तक कोई उपचार नहीं हुआ था और मैं जानना चाहूंगा कि बर्न केसेज में कोई उपचार इतनी देरी तक क्यों नहीं किया गया?

श्री दीप नारायण सिंह--मैंने जैसा बताया पांच रोगी आए, चार की मृत्यु हो गई जिनमें एक की मृत्यु एक बज कर पेंतालीस मिनट पर दिन में हुई। उनकी मृत्यु रेगुलर वार्ड में जाने के बाद हुई। सवा चार बजे तक वे इमरजेंसी वार्ड में थे और उस वक्त तक मरफिया इत्यादि दिया गया था और ग्लूकोज और सलाइन भी रोगियों को दिए गए।

अध्यक्ष--उनका कहना है कि इमरजेंसी वार्ड में मरफिया, ग्लूकोज और सलाइन, तीन चीज रोगियों को दी गयी। श्री श्याम सुन्दर प्रसाद का क्या कहना है?

श्री श्याम सुन्दर प्रसाद--मेरे पहुंचने के पहले संभव है दी गई हों। इमरजेंसी वार्ड में साढ़े तीन बजे तक मैं पहुंच गया था। उसके बाद वे रेगुलर वार्ड में भेजी गयीं लेकिन पियरिया, सारो और चिंतवा को दवा नहीं दी गई थी। मेरे सामने इन तीनों को दवा नहीं दी गई। संभव है कि मेरे पहुंचने के पहले दवा दी गई हो। मैं साढ़े तीन बजे पहुंचा और चार सवा चार तक उनको रेगुलर वार्ड में भेजा गया।

अध्यक्ष--जब रोगी इमरजेंसी वार्ड में थे तो आप वहां पहुंच गए थे?

श्री श्याम सुन्दर प्रसाद--जी हां। और हमारे पहुंचने के लगभग एक घंटे के बाद जनरल वार्ड में वे भेजी गयीं।

अध्यक्ष--उसके बाद आप बराबर थे?

श्री श्याम सुन्दर प्रसाद--करीब १० बजे तक।

अध्यक्ष—उनको दवा दी गई या नहीं?

श्री श्याम सुन्दर प्रसाद—उन तीनों को जिनका नाम अभी मैंने बताया है दवा नहीं दी गई है।

अध्यक्ष—माननीय मंत्री को क्या कहना है? वह तो कहते हैं कि दवा नहीं दी गई।

श्री दीप नारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया है कि तीन या सवा तीन बजे वे इमर्जेन्सी वार्ड में दाखिल हुईं और दाखिल होने के साथ-साथ उनको दवा दी गई। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उनके सामने दवा नहीं दी गई क्योंकि वे साढ़े तीन बजे इमर्जेन्सी वार्ड में गए। इमर्जेन्सी वार्ड में दवा देकर उनको रेगुलर वार्ड में सवा चार बजे दाखिल किया गया। रेगुलर वार्ड में जाने के बाद १ बज कर ४५ मिनट पर दिन में एक की मृत्यु हो गई और ढाई तीन घंटों के भीतर बाकी तीन को दवा मिली। इस ढाई तीन घंटों में इमर्जेन्सी वार्ड के डाक्टरों के अलावे रेगुलर डाक्टरों ने भी उचित चिकित्सा की। जो मेरे पास रिपोर्ट है उसके मुताबिक इमर्जेन्सी वार्ड में मौरफिया, ग्लूकोज इत्यादि दवाएं दी गईं। रेगुलर वार्ड में क्या दवा दी गई इसकी रिपोर्ट तो नहीं है लेकिन वहां भी उनको देख-भाल की गई। मृत्यु हो गई इसके लिए सरकार को बहुत अफसोस है लेकिन मैं कहता हूं कि किसी तरह भी यह नेगलेक्ट का केस नहीं है।

अध्यक्ष—इमर्जेन्सी वार्ड में किस वक्त दवा दी गई? रिपोर्ट में आपके पास समय लिखा हुआ है या नहीं?

श्री दीप नारायण सिंह—३ बजे या ३.१५ मिनट पर वे इमर्जेन्सी में दाखिल हुए और दाखिल होने के साथ ही उन्हें तुरत दवा मिल गयी। रेगुलर वार्ड में वे सवा चार बजे भरती हुए। इमर्जेन्सी से रेगुलर वार्ड दूर पर है यह बात सभी को मालूम है। उनकी देख-भाल हुई। लेकिन यह दुःख की बात है कि उनकी मृत्यु हो गयी।

श्री श्याम सुन्दर प्रसाद—यह कहा गया है कि सवा चार बजे वे रेगुलर वार्ड में पहुंच गये थे। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि पलंग मिल जाने से ही रोगी भरती हो गया समझा जाता है या उनके वहां पहुंचने पर किसी तरह की दवा भी दी जाती है?

SPEAKER: Do the Government object to the admissibility of the adjournment motion?

Shri DIP NARAYAN SINGH: Yes.

SPEAKER: Those who are in favour of the adjournment motion being admitted will please stand in their seats.

(Majority of the members stood up.)

SPEAKER: The adjournment motion will be taken up at 2-30 P.M. on Friday, the 18th April 1958.